न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर जिला–अजमेर

राजस्व वाद संख्या 57/2015

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प – दुर्गावास

1– श्रीमति ढगलाई बाई वयस्क पत्नि स्व. श्री बालूराम जी, उम्र 75 साल,
2– श्री रामचन्द्र वयस्क पुत्र स्व. श्री मोडूराम, उम्र 42 साल,
समस्त जाति नाई, निवासियान ग्राम दुर्गावास, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर
————वादीगण

व ना ग

1– श्री गोरधन वयस्क पुत्र श्री चंदरसिंह,
2– श्री भोराज वयस्क पुत्र श्री चन्दरसिंह,
3– श्रीमति भंवरी वयस्क पत्नि श्री गोरधन,
4– श्रीमति मीरा वयस्क पत्नि श्री भोजराज,
समस्त जाति रावत, निवासियान ग्राम दुर्गावास, तहसील ब्यावर जिला अजमेर
5– राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, ब्यावर (राज.)
6– श्रीमान उपपंजीयक महोदय, तहसील कार्यालय ब्यावर, जिला अजमेर (राज0)
————प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 25.05.2017

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा 2017 कैम्प कोर्ट दुर्गावास में प्रस्तुत हुआ। वादीगण ने अपने वाद पत्र में सारांशतः कथन किया है कि मौजा ग्राम दुर्गावास, पटवार हल्का दुर्गावास, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फतेहपुरिया दोयम, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.) में आराजी कृषि भूमियॉ खाता नंबर नया 43 पुराना 41 खसरा नंबर 895 रकबा 02–00–10 किस्म बा. 3, स्थित है। उपरोक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार वादीगण एवं अन्य जमाबंदी में वर्णित सहखातेदारान चले आ रहे हैं तथा उक्त आराजियात भी राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण एवं सहखातेदारान के नाम अंकित चली आ रही है। वादीगण भी अपने हक, हिस्से के अनुसार उपरोक्त आराजियात में काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा वादीगण का भी अन्य सहखातेदारान के साथ संयुक्त रूप से कब्जा, काश्त, हित, अधिकार, स्वत्व, आधिपत्य, निहित चला आ रहा है। वादीगण के अतिरिक्त उपरोक्त आराजियात से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का किसी भी तरह का कोई संबंध सरोकार, हक, अधिकार, कब्जा, आधिपत्य नहीं है और ना कभी रहा है और ना ही उन्हें उक्त आराजियात में आने अथवा कब्जा करने का कोई अधिकार ही है। किन्तु वादीगण द्वारा चारदीवारी का निर्माण करवाये जाने मे भी प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 4 अवरोध उत्पन्न करते हुए जबरन रोकने तथा वादीगण के हक हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। वादीगण के काफी समझाने पर भी वे नहीं मान रहे हैं। नीयत खराब होने की वजह से प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 4 दिनांक 28/06/2015 को वादग्रस्त आराजी पर आये और वादीगण को जबरन बेदखल करने तथा कब्जा करने की कोशिश करने लगे। इस पर वादीगण के भारी विरोध के कारण वे इसमें सफल नहीं हो सके। किन्तु प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 4 ने वादीगण को धमकी दी कि वे कुछ दिनों में मौका देखकर उक्त आराजी पर अपना कब्जा कर लेंगे तथा उसमें तोडफोड कर खुर्दबुर्द एवं बेचान कर देंगे तथा अन्य को काबिज करवा देंगे। अतः प्रतिवादीगण के कृत्यों को देखते हुए इस वाद की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अतः प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से की भूमियों के उपयोग, उपभोग में दखलअंदाजी उत्पन्न नहीं करें ना ही कोई बाधा उत्पन्न करें, ना ही वादीगण को बेदखल करें तथा विवादित भूमि में कोई तोडफोड व निर्माण आदि नही करे दौराने वाद प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को बेदखल कर उसमें कब्जा करलिया जावे अथवा अन्य को काबिज

.....लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

करवा दिया जावे अथवा कोई तोडफोड एवं परिवर्तन कर दिया जावे तो ऐसी स्थिति में आदेशात्मक निषेधाज्ञा प्रतिवादी के खर्चे पर जारी की जावे एवं पूर्व स्थिति कायम करवाई जावे तथा खर्चा वाद दिलाया जावे।

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वाद को नकारते हुये कथन किया है कि वादी संया 2 का वादग्रस्त आराजियात अथवा उसके किसी भाग से कोई संबंध सरोकार नहीं है, ना ही उक्त आराजी उसके नाम अंकित है। वादीया नंबर 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जरूर है परन्तु मौके पर इकरार बेचान के आधार पर कब्जा प्रतिवादीगण का खुल्लमखुला चला आ रहा है। वादीगण का उक्त आराजी में कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा है। वास्तविकता में उक्त आराजी पर वादीया नंबर 1 के पति स्व. श्री बालूराम जी ही काबिज थे तथा उन्होंने उक्त आराजी का कब्जा प्रतिवादीगण के पिता/ससुर स्व. श्री चन्दरसिंह को इकरार बेचान के बाद संभला दिया था। दिनांक 30/10/1973 को उक्त आराजी स्व. श्री चन्दरसिंह को विक्रय कर दिये जाने का इकरार किये जाने तथा कब्जा संभलाये जाने के दिवस से ही उक्त आराजी पर स्व. श्री चन्दरसिंह तथा उनके स्वर्गवास के बाद उनके वारिसान ही सबकी जानकारी में खुल्लमखुला रूप से बिना किसी बाधा एवं रूकावट के काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादीगण का जब उक्त आराजी पर कोई कब्जा रहा ही नहीं तो ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा उक्त आराजी में कोई कार्य कराने अथवा कोई राशि लगाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। उक्त आराजी में समस्त विस्तार विकास आदि के कार्य प्रतिवादीगण ने ही कराये हैं तथा राशि भी उन्हीं के द्वारा ही वहन की गई है। चूंकि आराजी कीमती हो चुकी है, जिस कारण वादीगण की नीयत खराब हो रही है। इस कारण वादीगण आपस में मिलीभगत करते हुए वाद गलत एवं झूंठा प्रस्तुत किया है जो पोषणीय नहीं है। प्रतिवादीगण की कोई नीयत खराब नहीं है और ना ही वे उक्त आराजी को हड़पना ही चाहते हैं। वास्तविकता में प्रतिवादीगण अपने पिता/ससुर स्व. श्री चन्दरसिंह के जीवनकाल से ही उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा आज भी उक्त आराजी उन्हीं के ही कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादीगण स्वयं का ही किसी तरह का कोई कब्जा या अधिकार नहीं है। वादग्रस्त आराजी में वादीगण के कोई पत्थर बजरी या अन्य कोई सामान नहीं पडा हुआ है। वादीया के पति स्व. श्री बालूराम का उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा विद्यमान चला आ रहा था। स्व. श्री बालूराम ने अपना 1/4 हिस्सा जो कि लगभग 15 बिस्वां बनता है, हक, हिस्सा निहित होने तथा मौके पर काबिज होने तथा अपवने हक हिस्से की आराजी कहीं भी रहन, बेचान एवं बख्शीश एवं किसी प्रकार से हस्तांतरित नहीं होने तथा हर तरह से पाक व आजाद होने का विश्वास दिलाते हुए अपने 1/4 हिस्से में स्थित 15 बिस्वां आराजी को प्रतिवादीगण के पिता/ससुर स्व. चन्दरसिंह पुत्र श्री वजीरसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम दुर्गावास तहसील ब्यावर को मिति कार्तिक सुदी 5 संवत् 2030 तदनुसार दिनांक 30/10/1973 को रूबरू गवाहान गुबलिग 250/–रूपये में कतई रूप से विक्रय करने का इकरार करते हुए प्रतिवादी के पिता/ससुर स्व. चन्दरसिंह से उसी समय विक्रय प्रतिफल की कुल रकम में से साई स्वरूप 200/–रूपये नकद ही रूबरू गवाहान प्राप्त कर लिये तथा इसकी पुष्टि स्वरूप एक हस्तलिखित इकरारनामा प्रतिवादीगण के पिता/ससुर स्व. चन्दरसिंह के पक्ष में निष्पादित कर उस पर राजस्व टिकिट चस्पा कर तथा उस पर अपने हस्ताक्षर अंकित कर असल इकरारनामा बेचाननामा प्रतिवादीगण के पिता/ससुर स्व. चन्दरसिंह को संभला दिया। उस समय स्व. बालूराम ने चन्दरसिंह को विश्वास दिलाया कि जब भी चन्दरसिंह व उसके वारिसान चाहेंगे , वह बकाया रकम प्राप्त कर चन्दरसिंह या उसके वारिसान

..................लगातार

पीयूष समारिया

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर

ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

या नामांकिती के पक्ष में उपरोक्त आराजी में स्थित अपने हक, हिस्से की आराजी का विक्रय पत्र निष्पादित करा पंजीयन करवा देगा। उक्त इकरारनामा निष्पादित कराने के कुछ समय पश्चात स्व. चन्दरसिंह ने स्व. बालूराम को बकाया राशि 50/–रूपये रूबरू गवाहान अदा कर दिये तथा विक्रय पत्र निष्पादित करा पंजीयन करवाने हेतु निवेदन किया, इस पर स्व. बालूराम ने बकाया रकम प्राप्त कर स्व. चन्दरसिंह को विश्वास दिलाया कि अब जब भी चाहोगे तब उनके पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करा पंजीयन करवा देंगे। बकाया रकम प्राप्त कर स्व. बालूराम ने इस इकरारनामा बेचाननामा की पालना में बयतलब आराजी साबिक खसरा नंबर 555 हाल खसरा नंबर 895 में स्थित अपने हक हिस्से के अनुसार मौके पर कब्जा भी स्व. चन्दरसिंह को संभला दिया, जिस कारण चन्दरसिंह का स्व. बालूराम पर विश्वास कायम हो गया, तब से ही उक्त आराजी के स्व. बालूराम के हिस्से पर स्व. चन्दरसिंह का तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके वारिसान जिनमें प्रतिवादीगण भी शामिल है, का कब्जा अनवरत रूप से बिना किसी बाधा एवं रूकावट के चला आ रहा है। कुछ समय बादवादीया नंबर 1 के पति बालूराम का स्वर्गवास सन् 1992–93 में हो गया। वादीया नंबर 1 उनकी बेवा है तथा वही उनकी एकमात्र वारिस एवं उत्तराधिकारी है। श्री बालूराम के स्वर्गवास के पश्चात वादीया नंबर 1 भी स्व. श्री चन्दरसिंह को विश्वास दिलाया था कि आप मुझ पर विश्वास रखें, वैसे भी भूमि का कब्जा आपके पास है, आप जब भी चाहोगे, तब आपके पक्ष में रजिस्ट्री करवा दूंगी, इस कारण वादीया नंबर 1 पर स्व. चन्दरसिंह ने विश्वास कर लिया। कुछ समय बाद प्रतिवादीगण के पिता चन्दरसिंह का भी स्वर्गवास दिनांक 15/10/1998 को हो गया। तब भी वादीया नंबर 1 स्व. चन्दरसिंह के सभी वारिसान को यही विश्वास दिलाया था कि वह प्रतिवादीगण के साथ किसी तरह का कोई धोखा नहीं करेगी, प्रतिवादीगण जब भी चाहेंगे, तब उनके पक्ष में रजिस्ट्री करवा देगी। इन्हीं तथ्यों को स्वीकारते हुए वादीया नंबर 1 ने एक सहमति पत्र भी प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के हक में रूबरू गवाहान दिनांक 22/1/2011 को निष्पादित करते हुए यह सहमति प्रदान की थी कि उक्त आराजी के 1/4 हक हिस्से का स्व. श्री बालूराम ने प्रतिवादीगण के पिता/ससुर स्व. चन्दरसिंह को बेचान की जा चुकी है तथा अब उनका उक्त आराजी से किसी तरह का कोई संबंध सरोकार शेष नहीं है तथा उक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरकरण स्व. चन्दरसिंह के वारिसान के नाम कर दिया जाता है तो उसमें वादीया नंबर 1 को कोई आपत्ति नहीं है तथा उक्त भूमि में निहित तनाम अधिकार स्व. चन्दरसिंह के वारिसान में निहित होने बाबत भी सहमति प्रदान की थी। उक्त सहमति पत्र पर वादीया नंबर 1 की अंगूठा निशानी है, जिसे उपस्थित गवाहान ने भी सही स्वीकारते हुए अपनी साक्ष्य दी है। उस समय भी वादीया ने प्रतिवादीगण को मौखिक रूप से यह भी विश्वास दिलाया था कि प्रतिवादी को जब कभी भी उसकी आवश्यकता होगी, वह उपस्थित होकर उनके पक्ष में रजिस्ट्री करवा देगी। उसके बावजूद भी वादीया नंबर 1 ने प्रतिवादीगण के बार बार मांग किये जाने के बावजूद भी रजिस्ट्री नहीं करवाई तथा रजिस्ट्री करवाने से ही साफ इंकार कर दिया। जिस कारण प्रतिवादीगण को मजबूरन जरिये न्यायालय विक्रय पत्र निष्पादित करवाकर पंजीयन करवाने हेतु वाद ब्यावर न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ा, जो कि विचाराधीन चला आ रहा है। उक्त वाद के साथ एक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया, जिसमें न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किये जाने के पश्चात उन्हें सही मानते हुए अपने आदेश दिनांक 1/10/2015 के द्वारा मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये हैं जो आज दिवस तक भी प्रभावी चले आ रहे हैं। वादीगण मात्र न्यायालय को गुमराह करते हुए न्यायालय से प्रतिवादीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त कर उसकी आड में उक्त भूमि पर नाजायज कब्जा करना चाहते हैं, जिस नीयत से ही झूठे कथनों पर आधारित वाद प्रस्तुत कर दिया है जो चलने योग्य नहीं है । वादीगण ने मौजूदा वाद गलत

..................लगातार

पीयूष समरिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

एवं झूंठा प्रतिवादीगण को हैरान, तंग, परेशान करने एवं खर्चे से जेरबार करने एवं आर्थिक नुकसान पहुँचाने की नीयत से प्रस्तुत किया है कि जिसका प्रतिवादीगण को मजबूरन प्रतिकार करना पड़ा है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण मय हर्जे खर्चे तथा विशेष हर्जा खर्चे सहित खारिज फरमाया जावें।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 आज राजस्व लोक अदालत में स्वयं उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया गया बाद अवलोकन जमाबंदी संवत 2069 से 2072 में वादीगण व अन्य सहखातेदारान के नाम विवादित भूमि का अंकन होना पाया गया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपी सिविल न्यायाधीश महोदय, ब्यावर की आदेशिका दीवानी विविध प्रार्थना पत्र संख्या 124/2015 अजनाम श्री गोरधनसिंह वगैरह बनाम श्रीमति ढगलाई वगैरह में दिनांक 1.10.2015 के द्वारा उक्त सिविल वाद के वादी व प्रतिवादीगण को जरिये इन्टरीम निषेधाज्ञा द्वारा जवाब आने तक दोनो पक्षो को मौके की व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतू पाबन्द किया होना पाया जाता है। उपस्थित प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने मजमें आम में कथन किए कि वादीगण के हिस्से में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं कर रहें है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजी साक्ष्य व विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 स्वीकार किया जाकर मौजा दुर्गावास, पटवार हल्का दुर्गावास तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.) में आराजी कृषि भूमियों खाता नंबर नया 43 पुराना 41 खसरा नंबर 695 रकबा 02–00–10 किस्म बा. 3 प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जाता है, कि वादीगण के जो हिस्से वर्तमान जमाबंदी में दर्ज चले आ रहे है, उससे उन्हें बेदखल नही करे तथा वादीगण के चले आ रहे शांतिपूर्ण कब्जे अधिकार, उपयोग, उपभोग में दखलअंदाजी पैदा नही करे तथा विवादित भूमियो में वादीगण के निहित हक हिस्से पर किसी भी प्रकार का निर्माण, तोडफोड नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2017 को मेरे द्वारा कोर्ट कैंप दुर्गावास में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पीयूष [illegible])
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार–2017"

डिगरी मुकदमा इकतरफा
श्रीमती इगलाई व अन्य बनाम श्री गोरधन व अन्य
राजस्व वाद संख्या 57 / 2016
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प – [illegible]

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

([illegible] समारिया)
आर०ए०एस०
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2017"

डिगरी मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर
व अजलाम पीयुष समारिया आई. ए. एस.
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प –दुर्गावास

राजस्व वाद संख्या 57/2015

1– श्रीमति ढगलाई बाई वयस्क पत्नि स्व. श्री बालूराम जी, उम्र 75 साल,
2– श्री रामचन्द्र वयस्क पुत्र स्व. श्री मोडूराम, उम्र 42 साल,
समस्त जाति नाई, निवासियान ग्राम दुर्गावास, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर
————वादीगण

व ना ग

1– श्री गोरधन वयस्क पुत्र श्री बंदरसिंह,
2– श्री भोराज वयस्क पुत्र श्री बन्दरसिंह,
3– श्रीमति भंवरी वयस्क पत्नि श्री गोरधन,
4– श्रीमति मीरा वयस्क पत्नि श्री भोजराज,
समस्त जाति रावत, निवासियान ग्राम दुर्गावास, तहसील ब्यावर जिला अजमेर
5– राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, ब्यावर (राज.)
6– श्रीमान उपखंडीयक महोदय, तहसील कार्यालय ब्यावर, जिला अजमेर (राज0)
————प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादीगण – श्री दिनेशचन्द्र टेलर
अधिवक्ता प्रतिवादी सं.1से4 –श्री बलवंतसिंह
अधिवक्ता प्रतिवादी सं.5से6– पेरोकार सरकार तहसीलदार ब्यावर
मुकदमा राजस्व वाद नम्बर :– 57/2015
निर्णय/डिक्री दिनांक :– 25.5.2017

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट दुर्गावास में पेश हुआ। वादीगण एंव प्रतिवादी उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। मज़में आम में मौजूद पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 25.5.2017 को पीयुष समारिया (आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष लोक अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट दुर्गावास में अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मज़में आम में रूबरू गोतबिरान पूछताछ एवं राजस्व रेकार्ड अनुसार वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 स्वीकार किया जाकर मौजा दुर्गावास, पटवार हल्का दुर्गावास तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.) में आराजी कृषि भूमियॉ खाता नंबर नया 43 पुराना 41 खसरा नंबर 895 रकबा 02–00–10 किस्म बा. 3 प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुनानियत किया जाता है, कि वादीगण के जो हिस्से वर्तमान जमाबंदी में दर्ज चले आ रहे है, उससे उन्हें बेदखल नही करे तथा वादीगण के चले आ रहे शांतिपूर्ण कब्जे अधिकार, उपयोग, उपभोग में दखलअंदाजी पैदा नही करे तथा विवादित भूमियो में वादीगण के निहित हक हिस्से पर किसी भी प्रकार का निर्माण, तोडफोड नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

आज तारीख 25.5.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पीयूष समारिया)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

.....लगातार